न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 16 / 17 दायर दिनांकः 12.09.2017

अनवान :– देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।
4. रोहतास सहारण पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।
5. अनिल शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प.स. नोहर दिनांक 24.08.2017 बहक प्रहलाद सिंह बनाम देवीलाल को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः–1. महेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 09.11.2017

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी का पट्टेशुदा प्लाट ग्राम पंचायत परलीका के वार्ड नं. 9 में स्थित है। जो सलंग्न अपील मीमो है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

यह कि रेस्पो. नं. 1 ने दिनांक 24.08.2012 को मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर में प्रार्थी के पट्टा दिनांक 03.12.2004 को खारिज करने हेतु अपील पेश की तथा अपील का आधार बताया कि पट्टा कानूनी एवं तथ्यों के विरूद्ध है। देवीलाल परलीका छोड कर चला गया है भूखण्ड उसके कब्जे में नही था। प्लाट विक्रय करना चाहता है। पट्टा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1957 के अन्तर्गत जारी किया गया है निरस्त किया जावे। अपीलांट व रेस्पो. के बीच मकान आदि का धारा 307 भा.द.स. का मुकदमा चल रहा है इसलिए पट्टा खारिज किया जावे। पट्टा सरपंच से साजबाज कर के बनाया गया है। पट्टा का ज्ञान 14.08.2012 को हुआ आदि–आदि आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की जिसमें बिना तल्वी किये अपील पंचायत समिति में पेन्डिग रखी गयी। पांच वर्ष तक इसलिए पेन्डिग रखी गई कि इसी पट्टे के संबंध में इन्ही तथ्यों के आधार पर माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर में नियमित वाद दीवानी प्र.स. 134 सन् 2012 प्रहलाद सिंह बनाम देवीलाल आदि रहा था और उसके निर्णय का इंतकार करने के कारण मौजुदा अपीलकृत पत्रावली में कोई भी आर्डरशीट नही लिखी गई ना ही कोई तलबी की गई ना नोटिस जारीकिये गये। माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर में प्रकरण सं. 134 सन 2012 में दिनाक 29.05.2017को निर्णय हो गया और रेस्पो. द्वारा तुरन्त पंचायत समिति विकास अधिकारी से मिलकर उक्त पत्रावली को दिनांक 01.06.2017 को प्रहलाद से प्रार्थना पत्र लेकर स्थगन आदेश जारी करते हुए पेशी में ली गई जबकि अपील के साथ भी स्थगन प्रार्थना पत्र था उसकी सुनवाई न करते हुए नया स्थगन प्रार्थना पत्र लेकर पत्रावली पेशी में ली गई औश्र एकपक्षीय निर्णय लिखने की योजना का पता अपीलांट को पता चला तो उसने माननीय एडीएम कोर्ट नोहर में निगरानी प्रस्तुत कर दी जिस पर एडीएम कोर्ट द्वारा 1 माह में निर्णय देने का आदेश जारी किया तो अपीलांट ने बार–बार प्रार्थना पत्र पंचायत समिति नोहर में निर्णय हेतु दिये तथा दिनांक 14.08.2017 प्रार्थी की बिना बहस सुने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही व न्यायिक निर्णयों के विरूद्ध मातहत अदालत ने निर्णय देते हुए प्रार्थी का निगरानीकृत पट्टा निरस्त कर दिया जो निम्न आधार पर निगरानी योग्य है :–

1. यह कि मातहत अदालत का निगरानीकृत निर्णय विधि विरूद्ध एकपक्षीय मनमाना एवं स्वैच्छाचारिता पूर्ण है जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. यह कि मातहत अदालत ने राजनैतिक रंजिश से व वोटो के लालच स्वरूप फर्जी तौर पर बिना माईन्ड अप्लाई किये ही निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।
3. यह कि निगरानीकृत पट्टे के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर में प्रकरण संख्या 134 सन् 2012 दिनांक 14.08.2012 जो पंचायत समिति में दर्ज अपील दिनांक 24.08.2012 से पूर्व ही चल रहा थ अनवान दावा प्रहलाद सिंह बनाम देवीलाल था जो दिनांक 29.05.2017 को खारिज कर दिया था यह निर्णय दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। तनकीयात संख्या 1 आया वाद चरण संख्या 2 में दर्ज वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित माप व आसा पासा विवादित है आवासीय भूखण्ड वादी के स्वामित्व कब्जा व उपयोग का है। वादी तनकीयात सं. 2 आया प्रतिवादी सं. 1 फर्जी पट्टे की आड में वादग्रस्त भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अन्यत्र रहन करने पर आमादा है। तनकीयात संख्या 3 आया वादी इस आश्य की घोषणात्मक अनुतोष की डिक्री प्राप्त करने का हकदार है लेकिन वाद चरण संख्या 2 में दर्ज भूखण्ड जिसकी माप व सीमाए चरण संख्या 3 में दर्ज है वादी के दादा के समय का है तथा जो वादी के स्वामित्व व आधिपत्य उपयोग व उपभोग का है तथा सिविल न्यायालय से अप्रार्थी को उक्त भूखण्ड को रहन बैय करने व कब्जा प्रार्थी में दखल देने से निषिद्ध रहने के आदेश व किसी दस्तावेज को पंजीकृत कराने से पाबंद किया गया है तथा अप्रार्थी का वाद भी खारिज कर दिया गया है।

मातहत अदालत ने पूर्णतः राजनिती से प्रेरित होकर निगरानीकृत आदेश पारित किया है तथा निर्णय में यह कथन गलत किया है कि पट्टा संबंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है जबकि तत्कालीन सरपंच ने पट्टा की सत्यप्रति जारी की है। मातहत अदालत व वर्तमान सरपंच से मिलकर पट्टा संबंधी पत्रावली गायब करके निर्णय में झुठे तथ्य दर्ज किये है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी स्वयं का खरीदशुदा है जो पिता की मृत्यु के पश्चात खरीद किया गया था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु 1995 में हो गई थी प्लाट 1997 में खरीद किया गया है तथा पट्टे से संबंधित किसी न्यायालय में कोई वाद विचारधीन नही है का फर्जी हल्फनामा प्रस्तुत किया था क्योंकि इससे पूर्व वाद प्रस्तुत कर रखा था ना ही मातहत अदालत में पट्टा की अपील 8 वर्ष पश्चात पेश करने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

करने पर मियाद की छुट हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया था। जो कानूनी भूल है, ना ही इस बिन्दु पर प्रार्थी को जबाव देने का मौका दिया।

मातहत अदालत ने पट्टा निरस्त करने के कोई ठोस व विधिक तथ्य अपने निर्णय में नही लिखे। मातहत अदालत ने गलत माना की भूखण्ड प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने से पहले खरीद किया गया है। पट्टा विधि सम्मत व सही बना हुआ है। पट्टे की ग्राम सेवक द्वारा सत्यप्रतिलिपी जारी की गई है।

निगरानी प्रार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2017 खारिज कर प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा बहाल करने के आदेश फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान एवं रिकार्ड की तल्बी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ पंचायत समिति ने निर्णय दिनांक 14.08.2017 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध जारी किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत ने विधि सम्मत तरीके से राशि जमा करवाई जाकर पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा प्रार्थी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात स्वयं ने खरीद किया है। जिस पर प्रार्थी के जीवनकाल में किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थीगण ने इस संबंध में सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी ने साजबाज कर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय करवाया है जबकि विवादित भूखण्ड प्रार्थी का पट्टे का खरीदशुदा है जिस पर उसका कब्जा भी है। अन्य किसी का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जो तथ्य दर्ज किये हैं वह सभी गलत व रिकार्ड की विपरित दर्ज किये है। प्रार्थी के पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत में मौजद थी जिसकी पूर्व में ग्राम पंचायत ने नकल भी जारी की थी परन्तु अब यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि उक्त पट्टे की पत्रावली नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी ने प्रार्थी के पट्टे के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है वह 8 वर्ष पश्चात की है, बिलम्ब का समय माफ करवाने हेतु अपीलांट ने मियाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दु पर कोई विवेचन किया। प्रहलाद सिंह को प्रार्थी के पट्टे के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था ना ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय की आज्ञा ली जबकि दफा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की स्वीकृति से ही अपील प्रस्तुत कर सकते है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाते हुए प्रार्थी का पट्टा बहाल रखा जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है। नियम 157 के अन्तर्गत उसी स्थान का पट्टा जारी किया जा सकता है जिस पर पुराना कब्जा हो व मकान निर्माण कर रहवास करते हो जबकि देवीलाल उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण कर कभी नही रहा बल्कि वह तो आज से 20 वर्ष पूर्व ही गांव छोडकर चला गया था जबकि पट्टा वर्ष 2004 में जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम 157 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध जारी किया है। उक्त पट्टे की ना तो मिसल कायम की गई ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया तथा अपीलाधीन पट्टा सन् 2004 का पिछे की तारीखों में कार्यवाही करके जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। वर्तमान ग्राम पंचायत के रिकार्ड के आधार पर देवीलाल के पक्षमें दिनांक 03.12.2004 में कोई पटटा जारी नही किया गया। विवादित भूखण्ड का मौका मुआयना भी किया गया था। मौका मुआयना की रिपोर्ट से साबित है कि भूखण्ड पर निर्मित मकान में प्रहलाद सिंह अपने परिवार व माता के साथ रिहायश करता है। देवीलाल का उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा रहा हो ऐसा कोई तथ्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच करने के पश्चात विवादित पट्टा नियमों के विपरित जारी होने के कारण व भूखण्ड पर अप्रार्थी प्रहलाद सिंह का कब्जा सिद्ध होने से पट्टा खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत में नही है जिससे पट्टा संदिग्ध प्रतित होता है व मौका रिपोर्ट से भी यही साबित है कि उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा है। जब प्रार्थी ग्राम में ही नही रहता है तो विवादित भूखण्ड पर उसका कब्जा कैसे हो सकता है ना ही कब्जे के अभाव में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2017 विधि एवं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2017 में हम किसी प्रकार के परिवर्तन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझतें है। निगरानी प्रार्थी खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)